

1000Rs.



काले बद्रे उत्तर प्रदेश  
Uttar Pradesh

A 529704

उत्तर - 5 FEB 2010 प्रदेश

[6]

इलाहाबाद सरकारी से उक्त रमेश चन्द्र वौरह का नाम खारिज कराकर आपने नाम की दाखिल खारिज करा लेवें। इसमें उक्त रमेश चन्द्र आदि व उनके वारिसान कायम मुकामान को कोई उत्तराज न है और न आङ्गन्दा कश्मी होगा। अगर खुदा-न-ख्वास्ता जायदाद मुबैया का जुज या कुल हिस्सा बदावेदारी किसी शख्स गौर या नुकस मिलकियत विक्रेता व रमेश चन्द्र आदि कब्जा व दखल क्रेती व उनके वारिसान कायम मुकामान से निकल जावे और क्रेती व उनके वारिसान कायम मुकामान को नुकसान व खेसारा बरदास्त करना पड़े तो उसी भूत में क्रेती को अधिकार होगा कि वह जिस कदर नुकसान व खेसारा होवे विक्रेता व उक्त रमेश चन्द्र आदि की जात व दीशर जायदाद मनकूला व गौर मनकूला से बजरिये आदालत वसूल कर लेवें। इसमें उक्त विक्रेता व रमेश चन्द्र आदि को कोई उत्तराज न होगा अगर कश्मी किसी समय कोई भी शख्स जायदाद मुबैया दावा आदालत करें तो बमुकाबिले तहरीर के बातिल कलअद्दम वेअसर समझा जाये जुज रकबा 343.62 वर्गमीटर जिसकी सरकारी रेट 3,500/- रुपया प्रतिवर्गमीटर की दर से मालियत 12,03,000/- रुपया होती है जिस पर शासनादेश संख्या- 2756/11 दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार मु0 10,00,000/- रुपया पर 6 प्रतिशत की दर से 60,000/- रुपया तथा शेष मुबलिश 2,03,000/- रुपया पर 7 प्रतिशत की दर से मु0 14,210/- रुपया इस प्रकार कुल मुबलिश 74,400/- रुपया का स्टाम्प शुल्क आदा किया जाता है। जमीन मुबैया पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं है। खारीदारिया ने जमीन को आवासीय प्रयोजन हेतु खारीद किया है।

३-११८/८८००-२५५१०

Rasheda Hashmi